संख्या- 1258/एक-10-2026

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

उन्नाव।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 22-10-2026

विषयः जनपद उन्नाव को अग्निकाण्ड (मद-07) से प्रभावित व्यक्ति/परिवार को राहत सहायता राशि प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त, उ०प्र० के पत्र संख्या-339/रा०आ०का० (मद-07)/2026-27 दिनांक 16.10.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपके पत्र दिनांक 07.09.2026 का सन्दर्भ देते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री रामनरेश, निवासी ग्राम बैजुवामऊ, पोस्ट शुक्लाखेडा, थाना बिहार, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव की अग्निकाण्ड की घटना से हुई मकान क्षति व पशुहानि के उपरान्त प्रभावित व्यक्ति/परिवार को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु रू0 8,000/- का धनावंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री रामनरेश, निवासी ग्राम बैजुवामऊ, पोस्ट शुक्लाखेडा, थाना बिहार, तहसील बीघापुर, जनपद उन्नाव की अग्निकाण्ड की घटना से हुई मकान क्षति व पशुहानि के उपरान्त प्रभावित व्यक्ति/परिवार को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रू0

8,000/- (रु० आठ हजार मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी, उन्नाव के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी. आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग/उपभोग /समर्पण/वितरण के समबन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0- 42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला रू0 8,000/- (रु० आठ हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक-2245058000607 अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 22-10-2026 11:38:36

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव ।

संख्या- 1258(1)/एक 10-2026-, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।
2-सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
4-राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5-विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
6-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
7-सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-23/10/2026

प्रेषण संख्या:- 19
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1258
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
07 - अग्निकांड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8000 4368000	8000 4368000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8000 4368000	8000 4368000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तियालीस लाख अड़सठ हजार

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by ARVIND KUMAR SINGH
Reason: Allotment Completed
Location: Uttar Pradesh
Date: 2026.10.23 03:09:48 +05:30